

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(46)वित्त/कर/2024

जयपुर, दिनांक 15 JAN 2025

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2024-25 की दिनांक 08.01.2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक आयुक्तों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उपायुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

| क्र.सं. | नाम                  | वर्ग                            | रिक्ति दिनांक |
|---------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.      | श्रीमती अनिता मीणा   | अजजा                            | 01.04.2024    |
| 2.      | श्री राहुल मीणा      | अजजा                            | 01.04.2024    |
| 3.      | श्री कैलाश चन्द मीणा | अजजा<br>अनारक्षित पद के विरुद्ध | 01.04.2024    |
| 4.      | श्री राजीव शर्मा     |                                 | 01.04.2024    |
| 5.      | श्री समीर दान संकरोत |                                 | 01.04.2024    |
| 6.      | श्रीमती निधि मिश्रा  |                                 | 01.06.2024    |
| 7.      | श्रीमती नीलू पुरोहित |                                 | 01.07.2024    |
| 8.      | श्रीमती दिवा मेहता   |                                 | 31.08.2024    |
| 9.      | श्रीमती मीना चौधरी   |                                 | 18.09.2024    |

उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक कमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

निम्नलिखित अधिकारी के सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति ने इनके प्रकरण आस्थगित (डेफर) करते हुए पद रिक्त रखे जाने की अभिशंषा की है :-

| क्र.सं. | नाम                   | रिक्ति दिनांक |
|---------|-----------------------|---------------|
| 1.      | श्री उमेश कुमार जालान | 01.09.2024    |

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

*Sd-*  
(डॉ रवि कुमार सुरपुर)  
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

*U*  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर)